रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 1974/अग्रहायण 7, 1896
No. 289] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 1974/AGRAHAYANA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th November 1974

SUBJECT.—*Import of fire-arms of non-prohibited bore.*

No. 181-ITC(PN)/74.—Attention is invited to Public Notice No. 71-ITC(PN)/74, dated the 25th May, 1974, regarding import of revolvers of non-prohibited bore offered as free gift to individuals from near relations abroad.

2. On a review of the position, it has been decided that the procedure for the issue of Customs Clearance Permits for import of revolvers & pistols, etc., of non-prohibited bore as gift shall, with immediate effect, be as indicated below:—

(i) Applications for grant of CCPs for import of firearms, under the gift scheme, shall be received on a quarterly basis, i.e., during January-March, April-June, July-September and October-December. The last date for receipt of applications in each quarter shall be the last working day of the first month of the quarter. Applications received after the prescribed date shall be summarily rejected.

(ii) Applications already received, or to be received up to the 30th November 1974, shall only be considered during 1974. No application received thereafter shall be entertained during the current calendar year.

(iii) Import of firearms as gift shall be allowed only from blood relations who have been living abroad continuously for a period of not less than two years. For the purpose of this scheme, blood relations will cover only father, mother, wife, husband, son, daughter, or real brother or sister of the applicant.

(iv) No person shall be eligible to import more than one firearms, namely, revolver, pistol, etc., more than once during a period of ten years.

3. Applications should be made and CCPs obtained by the recipients of the gifts in advance of the firearms covered by the applications being despatched from abroad. No CCPs shall normally be issued after the despatch of the firearms from abroad and/or their arrival in India.

4. The Import of ammunition shall not be allowed, under the scheme.

5. The firearms covered by the CCPs shall not be sold, or otherwise disposed of, or transferred, or parted with, for a period of ten years from the date of their importation, unless specific permission of the Chief Controller of Imports and Exports has been obtained, in writing, for the sale or transfer, etc.

6 The following documents should accompany each application

(i) Donor's letter, in original, on an aerogram;

(ii) An affidavit, on a stamped paper of the appropriate value, duly sworn in before a Magistrate or a Notary Public, showing the exact relationship of the donor with the applicant and that he /she had not imported a firearm, viz., revolver, pistol, rifle, etc. either as gift, or otherwise, during the preceding 10 years and undertaking that the firearm covered by the CCP, if issued in his/her favour, shall not be sold, or otherwise disposed of, or parted with, within a period of ten years from the date of its importation, without obtaining the specific permission of the Chief Controller of Imports and Exports, in writing

(iii) A certicate from the concerned Indian Mission abroad indicating the period of the donor's continuous stay abroad;

(iv) Valid I. V. C./exemption number issued by the Income-tax authorities, or assessment certificate issued by the Income-tax Department, in favour of the applicant;

(v) Valid arms licence issued by the appropriate licensing authority in India; and

(vi) A treasury challan for Rs. 50 in respect of application fee.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1974

विषय. — गैर-निषेध बोर के अग्न्यस्त्रों का आयात

सं० 181-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—विदेश में रहने वाले नजदीकी सम्बन्धियों से व्यक्तियों को मुफ्त उपहार के रूप में दिए गए गैर-निषेध्र बोर के रिवाल्वरों के आयात से संबधित सार्वजनिक सूचना संख्या 71–आई टी सी(पी एन)/74 दिनांक 25 मई, 1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपहार के रूप में गैर-निषेध बोर के रिवोल्वरों और पिस्तौलों के आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी करने के लिए तत्काल से नीचे यथा निर्दिष्ट क्रियाविधि होगी:—

(1) उपहार योजना के अधीन अग्न्यस्त्रों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परिमिटों को प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र त्रैमासिक आधार पर, अर्थात जनवरी-मार्च,

अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर और अक्तूबर-दिसम्बर के दौरान प्राप्त किए जाएंगे । प्रत्येक तिमाही में आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि तिमाही के प्रथम मास का अंतिम कार्य-दिवस होगा । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किए गए आवेदन पत्र सरकारी तौर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे ।

(2) पहले ही प्राप्त किए गए या 30 नवम्बर, 1974 तक प्राप्त किए जाने वाले आवेदन पत्रों पर केवल 1974 के दौरान विचार किया जाएगा । इसके बाद प्राप्त किए गए किसी भी आवेदन पत्र पर वर्तमान पंचांग वर्ष के दौरान विचार नहीं किया जाएगा ।

(3) उपहार के रूप में अग्न्यस्त्रों का आयात केवल उन रक्त-संबंधियों से अनुमेय किया जाएगा जो कम से कम दो वर्षों की अवधि से लगातार विदेश में रह रहे हैं । इस योजना के उद्देश्य के लिए रक्त संबंधियों में केवल आवेदक के पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, या सगा भाई या बहन शामिल होंगे ।

(4) कोई भी व्यक्ति 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक बार से अधिक एक से अधिक अग्न्यस्त्र अर्थात रिवाल्वर, पिस्तौल आदि आयात करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

3. अग्न्यस्त्रों के विदेश से प्रेषित होने से पहले ही उपहार प्राप्तकर्ताओं द्वारा आवेदन पत्र देने चाहिएं और सीमाशुल्क निकासी परमिट प्राप्त कर लेने चाहिएं । अग्न्यस्त्रों के विदेश से प्रेषण और/या भारत में उन के आ पहुंचने के बाद सामान्यतः कोई भी सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी नहीं किया जाएगा ।

4. इस योजना के अधीन गोला-बारूद की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. सीमाशुल्क निकासी परमिटों में शामिल अग्न्यस्त्र उनके आयात की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए तब तक बेचे, या अन्यथा निपटाए, या हस्तान्तरित, या दिए नहीं जाएंगे जब तक कि बिक्री या हस्तान्तरण आदि के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात से लिखित रूप में विशेष अनुमति प्राप्त न कर ली हो ।

6. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएं:—

(1) एक एरोग्राम पर उपहार कर्ता का मूल रूप में पत्र,

(2) आवेदक के साथ उपहार कर्त्ता की सही रिश्तेदारी को प्रदर्शित करते हुए और यह कि उसने पिछले 10 वर्षों के दौरान अग्न्यस्त्र अर्थात् रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल आदि या तो उपहार के रूप में या अन्य किसी प्रकार से आयात नहीं किया था इस को प्रदर्शित करते हुए मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के सामने विधिवत् शपथ लेकर उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र और इस संबंध में एक वचन पत्र कि यदि सीमाशुल्क निकासी परमिट उसको जारी किया गया तो उसमें शामिल अग्न्यस्त्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की लिखित रूप में विशेष अनुमति प्राप्त किये बिना उसके आयात करने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के भीतर उसे बेचा या अन्य प्रकार से निपटाया या छोड़ा नहीं जाएगा ।

(3) उपहार कर्ता के विदेश में लगातार दो वर्षों की अवधि के ठहराव को निर्दिष्ट करते हुए विदेश में सम्बद्ध भारतीय मिशन से एक प्रमाण पत्र;

(4) आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र/छूट संख्या या आयकर विभाग द्वारा आवेदक को जारी किया गया कर निर्धारण प्रमाण पत्र;

(5) भारत के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध आग्नेयास्त्र लाइसेन्स; और

(6) आवेदन पत्र शुल्क के संबंध में 50 रुपये का एक राजकीय खजाना।

वी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974